

Authority i.e. the Central/State Licensing Authority, as may be applicable, by the concerned manufacturer/marketing companies.

- (f) In case the retail price of any of the aforesaid formulations is not complied with, as per instant price notification and notes specified hereinabove, then the concerned manufacturer/marketing company shall be liable to deposit the overcharged amount along with the interest thereon under the provisions of the DPCO, 2013 read with the Essential Commodities Act, 1955.
- (g) Consequent to the fixation of retail price of such formulation as specified in column (2) of the above table with the strength and name of Manufacturer & Marketing Companies specified in the corresponding entries in Column (3) & (5) thereof, the price order(s) fixing the retail price of the formulation with specified strength for that Manufacturer & Marketing Companies as specified in corresponding entries in Column (2), (3) and (5) thereof, if any, issued prior to this notification, stand(s) superseded.

[PN/255/123/2024/F F. No. 8(123)/2024/D.P./NPPA-Div.-II]

MAHAVEER SAINI, Dy. Director

### आदेश

नई दिल्ली, 15 मई, 2024

**का.आ. 1991(अ).—** भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का. आ. 1394 (अ) तारीख 30 मई, 2013 और का. आ. 5249(अ) तारीख 11 नवम्बर, 2022 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 5, 11 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (जिसको संक्षिप्त रूप में एनपीपीए कहा जाता है), नीचे की सारणी के स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य को उक्त सारणी के स्तंभ (3), (4) और (5) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता, इकाई (यूनिट) और विनिर्माता और विपणन कंपनियों के नाम सहित स्तंभ(2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में से प्रत्येक की, वस्तु एवं सेवा कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम खुदरा मूल्य के रूप में नियत करती है।

### सारणी

क्रं सं	दवाइयाँ	प्रबलता	इकाई	विनिर्माता और विपणन कंपनी	खुदरा मूल्य (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सेफ्टाज़िडाइम और एविबैक्टम पाउडर फोर कोंसनट्रेट फोर सोल्यूसन फोर इंफ्यूजन	प्रत्येक वाइल में: सेफ्टाज़िडाइम पेंटाहाइड्रेट आईपी सेफ्टाज़िडाइम 2.0 ग्राम के बराबर एविबैक्टम सोडियम एविबैक्टम 0.5 ग्राम के बराबर	1 वाइल	मैसर्स प्रोटेक टेलीलैक्स / मैसर्स समर्थ लाइफ साइंसेज प्रा. लिमिटेड	2074.74
2.	विटामिन डी3 ओरल सॉल्यूशन	प्रत्येक 5 मि.ली. में: कोलेकैल्सिफेरॉल आईपी 600000 आईयू (नैनो ड्रॉपलेट रूप में)	1 मि.ली.	मेसर्स रेवेनभेल हेल्थकेयर प्रा. लिमिटेड / मैसर्स ला रेनॉन हेल्थकेयर प्रा. लिमिटेड	11.63
3.	टेलिमसर्टन और क्लोथालिडोन गोली	प्रत्येक फिल्म कोटेड गोली में: टेलिमसर्टन आईपी 40 मिलीग्राम क्लोथालिडोन आईपी 12.50 मिलीग्राम	1 गोली	मेसर्स प्योर एंड क्योर हेल्थकेयर प्रा. लिमिटेड / मैसर्स ला रेनॉन हेल्थकेयर प्रा. लिमिटेड	7.39
4.	टेलिमसर्टन और एम्लोडिपाइन गोली	प्रत्येक अनकोटेड बाइलेयर्ड गोली में: टेलिमसर्टन आईपी 80 मिलीग्राम एम्लोडिपाइन बेसिलेट आईपी एम्लोडिपाइन 5 मिलीग्राम के बराबर	1 गोली	मेसर्स प्योर एंड क्योर हेल्थकेयर प्रा. लिमिटेड / मैसर्स ला रेनॉन हेल्थकेयर प्रा. लिमिटेड	13.21

**नोट:**

- (क) उपर्युक्त दी गई विनिर्दिष्ट फॉर्मूलेशन के निर्माता अर्थात् जो “नई ड्रग” डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2(1)(यू) के तहत उपर्युक्त दी गई सारणी के स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य निर्धारित करेंगे।
- (ख) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (6) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है तो वे वस्तु एवं सेवा कर को जोड़ सकते हैं।
- (ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित करें। निर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24 के तहत फॉर्म V में अधिसूचना की तारीख से एक मूल्य सूची एनपीपीए को आईपीडीएमएस के माध्यम से जारी करें तथा उसकी प्रति राज्य औषधि नियंत्रकों और विनिर्माता वितरकों को जारी करें।
- (घ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के 24 (4) के अनुसार प्रत्येक फुटकर विक्रेता और वितरक विनिर्माता द्वारा दिए गए रूप में ऐसे परिसर, जहां कारबार को इस प्रकार किया जा रहा है कि उससे परामर्श के इच्छुक किसी व्यक्ति के लिए पहुंच आसान हो, वहां उसके किसी सुस्पष्ट भाग पर कीमत सूची और पूरक सूची, यदि कोई हो, को प्रदर्शित करेगा।
- (ङ) उपर्युक्त उल्लिखित अधिकतम कीमत (खुदरा मूल्य) केवल उपर्युक्त निर्माता/विपणन के लिए लागू है जैसा कि उन्होंने औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत अनुबद्ध मूल्य निर्धारण/संशोधन के लिए फॉर्म I पर जमा किया गया था और सरकार द्वारा निर्धारित सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन प्रासंगिक विधियों/नियमों के अन्तर्गत जैसा कि केन्द्रीय/राज्य लाइसेंसिंग ऑथोरिटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मैन्यूफैक्चरिंग लाइसेंस मंजूरी के तहत संबंधित विनिर्मित निर्माता/विपणन कंपनियां जो अनुपालन करती हैं।
- (च) विनिर्माता या विपणन कंपनी, उपरोक्त विनिर्मितियों और विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- (छ) इस आदेश में उपरोक्त तालिका के कॉलम (3) और (5) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में निर्दिष्ट विनिर्माण और विपणन कंपनियों की स्ट्रेथ और नाम के साथ, उपरोक्त तालिका के कॉलम (2) में निर्दिष्ट ऐसे फॉर्मूलेशन के खुदरा मूल्य के निर्धारण के परिणामस्वरूप, कॉलम (2), (3) और (5) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में यथा निर्दिष्ट उस विनिर्माण और विपणन कंपनियों के लिए निर्दिष्ट स्ट्रेथ के साथ फॉर्मूलेशन के खुदरा मूल्य को निर्धारित करने वाले कोई मूल्य आदेश यदि इस अधिसूचना से पहले जारी किए गए हो, तो उसे इसका स्थान लिया माना जाएगा।

[पीएन/255/123/2024/एफ. सं. 8(123)/2024/डी.पी./एनपीपीए-डी.वी.-II]

महावीर सैनी, उप निदेशक

**ORDER**

New Delhi, the 15th May, 2024

**S.O. 1991(E).**— In exercise of the powers conferred by paragraphs 5, 11 and 15 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated the 30<sup>th</sup> May, 2013 and S. O. 5249(E) dated 11<sup>th</sup> November, 2022 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA), hereby fixes, the price as specified in column (6) of the table herein below as the retail price, exclusive of goods and services tax, if any, in relation to the formulation specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength, unit and name of manufacturer & marketing company, as specified in the corresponding entries in columns (3), (4) and (5) thereof;

TABLE

Sl. No.	Medicines	Strength	Unit	Manufacturer & Marketing Company	Retail Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Ceftazidime and Avibactam powder for concentrate for solution for infusion	<b>Each vial contains:</b> Ceftazidime Pentahydrate IP eq. to Ceftazidime 2.0gm Avibactam Sodium eq. to Avibactam 0.5gm	1 Vial	M/s Protech Telelinks / M/s Samarth Life Sciences Pvt. Ltd.	2074.74
2.	Vitamin D3 Oral Solution	<b>Each 5ml contains:</b> Cholecalciferol IP 600000 IU (In Nano Droplet form)	1ml	M/s Ravenbhel Healthcare Pvt. Ltd. / M/s La Renon Healthcare Pvt. Ltd.	11.63
3.	Telmisartan and Chlorthalidone Tablet	<b>Each film coated tablet contains:</b> Telmisartan IP 40mg Chlorthalidone IP 12.50mg	1 Tablet	M/s Pure and Cure Healthcare Pvt. Ltd. / M/s La Renon Healthcare Pvt. Ltd.	7.39
4.	Telmisartan and Amlodipine Tablet	<b>Each uncoated bilayered tablet contains:</b> Telmisartan IP 80mg Amlodipine Besilate IP eq. Amlodipine 5mg	1 Tablet	M/s Pure and Cure Healthcare Pvt. Ltd. / M/s La Renon Healthcare Pvt. Ltd.	13.21

**Note:**

- The manufacturer of above-mentioned formulations i.e. “new drug” under paragraph 2(1)(u) of the DPCO, 2013 shall fix the retail price as specified in column (6) of the table hereinabove.
- The manufacturer may add Goods and Services Tax only if they have paid actually or it is payable to the Government on the retail price mentioned in column (6) of the above said table.
- The retail price for a pack of the aforesaid formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the retail price specified in column (6) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the DPCO, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form-V from date of Notification as per paragraph 24 of the DPCO, 2013 to NPPA through IPDMS and submit a copy to State Drug Controller and dealers.
- As per para 24(4) of DPCO 2013, every retailer and dealer shall display price list and the supplementary price list, if any, as furnished by the manufacturer, on a conspicuous part of the premises where he carries on business in a manner so as to be easily accessible to any person wishing to consult the same.
- The above mentioned retail price is applicable only to the individual manufacturer / marketer as mentioned above i.e. who have applied for the same by submitting Form-I for price fixation / revision as stipulated under DPCO, 2013 and subject to fulfilment of all the applicable statutory requirements as laid down by the Govt. under relevant statutes/ rules, including manufacturing license permission from the Competent Authority i.e. the Central/State Licensing Authority, as may be applicable, by the concerned manufacturer/marketing companies.
- In case the retail price of any of the aforesaid formulations is not complied with, as per instant price notification and notes specified hereinabove, then the concerned manufacturer/marketing company shall be liable to deposit the overcharged amount along with the interest thereon under the provisions of the DPCO, 2013 read with the Essential Commodities Act, 1955.
- Consequent to the fixation of retail price of such formulation as specified in column (2) of the above table with the strength and name of Manufacturer & Marketing Companies specified in the corresponding entries in Column (3) & (5) thereof, the price order(s) fixing the retail price of the formulation with specified strength for that Manufacturer & Marketing Companies as specified in corresponding entries in Column (2), (3) and (5) thereof, if any, issued prior to this notification, stand(s) superseded.

[PN/255/123/2024/F F. No. 8(123)/2024/D.P./NPPA-Div.-II]

MAHAVEER SAINI, Dy. Director